स्वयंसेवकों की भर्ती हेतु मानक

नागरिक सुरक्षा के अवैतिनक स्वयंसेवकों/पदाधिकारियों की नियुक्ति के लिए नागरिक सुरक्षा नगरों में जिलाधिकारी/नियंत्रक, नागरिक सुरक्षा को नागरिक सुरक्षा अधिनियम, 1968 द्वारा अधिकृत किया गया है। नियंत्रक, नागरिक सुरक्षा ऐसे किसी व्यक्ति को, जिसे वह संगठन की सदस्यता के लिए उपयुक्त समझते हैं, संगठन का अवैतिनक पदाधिकारी नियुक्त कर सकते हैं। संगठन का सदस्य बनने के लिए नागरिक सुरक्षा अधिनियम में उल्लिखित अर्हताएं निम्न प्रकार हैं:-

- 1. वह भारत का नागरिक हो या सिक्किम, भूटान अथवा नेपाल की प्रजा में से हो,
- 2. उसकी आयु 15 वर्ष पूरी हो चुकी हो,
- 3. वह प्राइमरी स्टैण्डड अर्थात चैथी कक्षा उत्तीर्ण हो यद्यपि इस शर्त में भी नियंत्रक द्वारा अपने विवेक से छूट दी जा सकती है,
- 4. नागरिक सुरक्षा में स्त्री व पुरूष दोनों ही सदस्य हो सकते हैं।
- 5. कोई भी ऐसा व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता जो शारीरिक रूप से स्वस्थ व मानसिक रूप से चुस्त न हो,
- 6. नेशनल वालन्टियर फोर्स तथा केन्द्र की आम्ड फोर्स में पूर्व की सेवा कोर में भर्ती के लिये विशेष अर्हता मानी जायेगी।

- 7. सामान्यतः निम्न बलों व सेवाओं के सदस्य नागरिक सुरक्षा के स्वयंसेवक नहीं हो सकते हैं:-
 - 1. भारत राज्य की सशस्त्र सेना,
 - 2. पुलिस बल,
 - 3. अग्निशमन सेवा,
 - 4. टेरीटोरियल आर्मी अथवा रक्षा संबंधी सहायक
 - 5. सशस्त्र सेना में कार्यरत् असैनिक कार्मिक

कोई भी व्यक्ति जो समाज सेवा निष्काम भाव से करने का इच्छुक है, इस संगठन में अवैतनिक सदस्य के रूप में जुड़ सकता है। यद्धयपी ऐसे व्यक्ति को किसी प्रकार का मानदेय/वेतन देय नहीं होता है। फिर भी निष्काम सेवा करने के लिये यह एक अच्छा मंच है। ऐसे व्यक्ति को क्षेत्र विशेष का पूर्ण ज्ञान होना चाहिये। क्षेत्र का प्रतिष्ठित, प्रभावशाली एवं अच्छे नेतृत्व की क्षमता रखने वाला होना चाहिए । नागरिक सुरक्षा संगठन से अपेक्षा की जाती है कि वे आवश्यकता पड़ने पर अधिक से अधिक जनशक्ति उपलब्ध करा सकें तथा न्यूनतम् उपलब्ध संसाधनों से आपातकाल के समय असामान्य स्थिति को सामान्य बनाने में अपना सहयोग प्रदान कर सकें। नागरिक सुरक्षा के स्वयंसेवकों को अपने कार्यों के निष्पादन हेतु विभिन्न स्तरों एवं विषयों का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। अवैतनिक पदाधिकारियों को इयूटी पर बुलाए जाने पर प्रतिदिन प्रति व्यक्ति

रू० 31/- ड्यिटी भत्ता व प्रशिक्षण हेतु बुलाए जाने पर प्रतिदिन प्रति व्यक्ति रू० 28/- प्रशिक्षण भत्ता प्रदेश शासन द्वारा स्वीकृत किया गया है।

नागरिक सुरक्षा के स्वयंसेवक/वार्डेनों को नागरिक सुरक्षा नगरों में वार्डेन सेवा, गृह अग्नि शमन, प्राथमिक चिकित्सा एवं संचार प्रक्रिया का प्रशिक्षण दिया जाता है। नगर स्तर के अतिरिक्त केन्द्रीय नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान, बख्शी का तालाब पर भी वर्ष में आयोजित होने वाले विभिन्न पाठ्यक्रमों में नगरों के स्वयंसेवकों को नामित किया जाता है जहां उन्हें गहन प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। नागरिक स्रक्षा के वैतनिक कर्मचारियों को केन्द्रीय नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ, राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा महाविद्यालय, नागपुर में नागरिक सुरक्षा का गहन प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है। नागरिक सुरक्षा संगठन का अवैतनिक पदाधिकारी/सदस्य बनने के लिए निर्धारित प्रारूप पर आवेदन करना होता है। नगर स्तर पर उपनियंत्रक कार्यालय एवं प्रखण्डीय कार्यालयों में पर्याप्त संख्या में ऐसे आवेदन पत्र उपलब्ध हैं। इच्छुक व्यक्ति इन कार्यालयों से सम्पर्क कर निर्दिष्ट औपचारिकताएं पूर्ण करने के पश्चात् जिलाधिकारी/नियंत्रक, नागरिक सुरक्षा द्वारा संगठन का सदस्य नियुक्त किया जा सकता है।

स्वयंसेवकों का निष्कासनः

नागरिक सुरक्षा अधिनियम, 1968 की धारा-6 (1)व (2) के अंतर्गत यदि नियंत्रक समझता है कि किसी सदस्य का कोर में बना रहना उचित नहीं है तो क्रमशः स्पष्टीकरण प्राप्त करके एवं बिना कारण बताए वह उसकी सदस्यता को समाप्त कर सकता है। सेवा समाप्ति के विरूद्ध अधिनियम की धारा-7 के अधीन शासन को अपील की जा सकती है।